



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112025-267319  
CG-DL-E-01112025-267319

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695]  
No. 695]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 29, 2025/ कार्तिक 7, 1947  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2025/ KARTIKA 7, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो  
(उपभोक्ता मामले विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2025

**संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1347).**— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

## अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 15768 : 2025 वस्त्रादि — सार्वजनिक स्थान में उपयोग किये जाने वाले अग्निरोधक सोफासाजी के कपड़े की अग्नि अवरोधकता — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	06 अक्टूबर 2025	आई एस 15768 : 2008 वस्त्रादि — व्यवसायिक सोफासाजी के लिए फर्नीचर की अग्नि अवरोधकता — विशिष्टि	06 अप्रैल 2026

प्रवीण खन्ना, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (पी एवं सी)

[विज्ञापन-III/4/असा./430/2025-26]

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS****(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2025

**Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1347).**—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

**SCHEDULE**

<b>Sl. No.</b>	<b>No., Year &amp; Title of the Indian Standards Established</b>	<b>Date of Establishment</b>	<b>No. , Year &amp; Title of the Indian Standards to be Withdrawn, if any</b>	<b>Date of Withdrawal</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	IS 15768 : 2025 Textiles — Resistance to Ignition of Fire-Resistant Upholstery Fabrics for Use in Public Places — Specification (First Revision)	06 October 2025	IS 15768 : 2008 Textiles — Resistance to Ignition of Upholstered Composites Used for Non-Domestic Furniture — Specification	06 April 2026

PRAVEEN KHANNA, Scientist G &amp; DDG (P&amp;C)

[ADVT.-III/4/Exty./430/2025-26]



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112025-267318  
CG-DL-E-01112025-267318

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694]  
No. 694]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 29, 2025/ कार्तिक 7, 1947  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2025/ KARTIKA 7, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो  
(उपभोक्ता मामले विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2025

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(1346).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

## अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस/आई एस ओ 55001 : 2024 परिसंपत्ति प्रबंधन — परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली — अपेक्षाएँ (पहला पुनरीक्षण)	13 अक्टूबर 2025	आई एस/आई एस ओ 55001 : 2014 परिसंपत्ति प्रबंधन — प्रबंधन प्रणाली — अपेक्षाएँ	13 अप्रैल 2026

प्रवीण खन्ना, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (पी एवं सी)  
[विज्ञापन-III/4/असा./429/2025-26]

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS****(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2025

**Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1346).**—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

**SCHEDULE**

<b>Sl. No.</b>	<b>No., Year &amp; Title of the Indian Standards Established</b>	<b>Date of Establishment</b>	<b>No. , Year &amp; Title of the Indian Standards to be Withdrawn, if any</b>	<b>Date of Withdrawal</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	IS/ISO 55001 : 2024 Asset Management — Asset Management System — Requirements (First Revision)	13 October 2025	IS/ISO 55001 : 2014 Asset Management — Management Systems — Requirements	13 April 2026

PRAVEEN KHANNA, Scientist G &amp; DDG (P&amp;C)

[ADVT.-III/4/Exty./429/2025-26]